

[2023] 6 एस.सी.आर 806

मेसर्स विस्ट्रा आई.टी.सी.एल. (इंडिया) लिमिटेड और अन्य

बनाम

श्री दिनकर वेंकटसुब्रमणियन और अन्य

(सिविल अपिल सं. 3606/2020)

04 मई, 2023

[न्या. एम. आर. शाह और न्या. संजीव खन्ना]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016: धाराएं 30, 52 और 53 - बंधक रखे गए शेयरों के आधार पर कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में अपीलकर्ता का दावा - अधिकार हेतु - तथ्यों पर, कॉर्पोरेट देनदार ने अपने अंतिम उपयोग के लिए अपनी समूह कंपनियों को अल्पकालिक ऋण सुविधा देने के लिए अपीलकर्ताओं से संपर्क किया - यह एक सहमती थी कि कॉर्पोरेट देनदार अपने द्वारा रखे गए शेयरों को गिरवी रखने के माध्यम से प्रथम श्रेणी की विशेष प्रतिभूति बनाएगा - अपीलकर्ता सं.1 और समूह कंपनियों के बीच प्रतिभूति न्यासी समझौतों का निष्पादन - उसके बाद, एक आवेदन धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ स्वीकार किया गया और प्रत्यर्थी को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया - अपीलकर्ता सं.1 ने कॉर्पोरेट देनदार के एक सुरक्षित लेनदार के रूप में अपना दावा दायर किया और मूल राशि का दावा करते हुए फॉर्म ग प्रस्तुत किया, हालांकि, समाधान पेशेवर द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था - अपीलकर्ताओं ने तब गिरवी रखे गए शेयरों के आधार पर अधिकार का दावा करते हुए धारा 60(5) के तहत आवेदन दायर किया, जिसे न्यायनिर्णायन प्राधिकरण के साथ-साथ एन.सी.एल.ए.टी. ने खारिज कर दिया था - एन.सी.एल.ए.टी. ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को वित्तीय ऋण के रूप में कोई धन नहीं दी गई थी

इसलिए वह कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के दायरे में नहीं आएगा - अपील पर अभिनिर्धारित किया गया : अपीलकर्ता संख्या 1 का गिरवी रखे गए शेयरों में प्रतिभूति हित है - अपीलकर्ता संख्या 1 को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाना है, लेकिन यह वित्तीय लेनदारों या सक्रिय लेनदारों की श्रेणी में नहीं आता है - अपीलकर्ता संख्या 1 को गिरवी रखे गए शेयरों के संबंध में धारा 52 के साथ ही धारा 53 के तहत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जबकि, संशोधित धारा 30(2) सहपठित धारा 31 का आशय अन्य लेनदारों के हितों की रक्षा करना है जो सी.ओ.सी. के दायरे से बाहर हैं - व्यवहार्य समाधान अपीलकर्ता सं. 1 के साथ धारा 52 सहपठित धारा 53 के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार के रूप में व्यवहार करना है - सफल समाधान आवेदक को अपीलकर्ता सं.1 के साथ एक सुरक्षित लेनदार के रूप में व्यवहार करने का विकल्प दिया गया है, जो गिरवी रखे गए शेयरों में प्रतिभूति हित बनाए रखने का हकदार होगा और उसके संदर्भ में, उक्त गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री पर प्रतिभूति आय को बनाए रखेगा - यह विकल्प संहिता के अधिदेश को पूरा करेगा और सुरक्षित लेनदार को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा - इसलिए, अपीलकर्ता सं.1 को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाएगा, और धारा 52 और 53 और बंधक समझौते के संदर्भ में एक सुरक्षित लेनदार के लिए लागू सभी अधिकारों और दायित्वों का हकदार होगा - भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 - आर. 21क।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1 यह निवेदन कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा की पूर्ववर्ती-हितधारक (बंधक समझौता) के बीच दिनांक 5.07.2016 के संशोधित और पुनः घोषित बंधक समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक पूरी ऋण राशि का गारंटर है, जिसके लिए बंधक समझौते के खंड 2.1.2 पर भरोसा किया गया था। यह तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है, क्योंकि बंधक समझौता विशेष रूप से खंड 2.1.1 के तहत बंधक शेयरों की सीमा तक कॉर्पोरेट देनदार की देयता को प्रतिबंधित और सीमित करता है। [अनुच्छेद 6] [821-ग-घ]

1.2 कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक द्वारा संयुक्त लेनदार फोरम के प्रमुख बैंक आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी कुछ पत्रव्यवहारों पर भी भरोसा किया गया है, जो अब कॉर्पोरेट देनदार एमटेक के लेनदारों की समिति का बहुमत है, जो शेयरों आदि को बंधक रखने की अनुमति देती है। इन पत्रव्यवहारों को उस संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसमें वे लिखे गए थे। कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के वित्तीय लेनदारों द्वारा यह स्पष्ट और समझा गया था कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक एसटीएल सुविधाओं के लिए अपनी परिसंपत्ति की प्रतिभूति या शुल्क द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वहन नहीं करेगा, और ऋण ब्रास्को और डब्ल्यूएलडी द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 और 3, अर्थात्, केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, से खरीदे और लिए जा रहे थे। यह निर्धारित किया गया था कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक की परिसंपत्तियों को किसी भी तरह से ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा, और प्रतिभूति के रूप में दिए गए शेयरों को छोड़कर, और ऋण को चुकाने / निर्वहन करने का बोझ ब्रास्को और डब्ल्यूएलडी पर था। आईडीबीआई बैंक ने केवल कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक को प्रश्नगत शेयर बंधक रखने की अनुमति दी थी और इस हद तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। [अनुच्छेद 6.1][822-क-ग]

1.3 अपीलकर्ता संख्या 1 देनदार एमटेक द्वारा बंधक रखे गए शेयरों की सीमा तक एक सुरक्षित लेनदार है। यह जेएमटी ऑटो लिमिटेड में 66.77% शेयरधारिता पर बंधक में पहला अधिकार रखता है। संहिता की धारा 3(31) में परिभाषित 'प्रतिभूति हित' शब्द में कहा गया है कि इसका अर्थ है किसी ऐसे लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में सृजित संपत्ति का अधिकार, शीर्षक, हित या दावा, जो किसी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करता है और इसमें बंधक, प्रभार, परिपाधान, असाइनमेंट और देनदारियां, या किसी व्यक्ति के किसी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है। वह व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया गया है, उसे वह लेनदार होने की आवश्यकता नहीं है जो ऋण सुविधा का लाभ उठाता है, और एक तीसरा पक्ष हो सकता है। प्रतिभूति हित किसी अन्य व्यक्ति को दी गई ऋण सुविधाओं/ऋण के लिए सृजित किया जा सकता है। यह माना जाता है और स्वीकार किया

जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 का बंधक शेयरों में सुरक्षा हित है। [अनुच्छेद 7] [822-घ-छ]

1.4 बंधक रखने के कानून में पणयम्-दार के लिए विशेष अधिकारों पर विचार किया गया है, यानी, प्रतिभूति के कब्जे का अधिकार, और चूक के मामले में, पणयम्-कार के खिलाफ वाद लाने का अधिकार या, साथ ही पणयम्-कार को उचित नोटिस देने के बाद सामान बेचने का अधिकार। संपत्ति में सामान्य अधिकार या स्वामित्व अधिकार पणयम्-कार के पास रहते हैं, और ऋण के निर्वहन या वादे के प्रदर्शन पर पूरी तरह से उसे वापस कर दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, संपत्ति का अधिकार पणयम्-दार के पास केवल वहां तक निहित है जहां तक ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। [अनुच्छेद 7.2][824-च-छ]

1.5 2019 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा पेश किया गया संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि सक्रिय लेनदारों को समाधान योजना के तहत संहिता की धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में उस राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, जिसके वे हकदार होंगे। दूसरे शब्दों में, कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में, सक्रिय लेनदारों को समाधान योजना के तहत देय राशि संहिता की धारा 53 के तहत उन्हें देय राशि से कम नहीं होनी चाहिए। संशोधित प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि जिन वित्तीय लेनदारों ने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है उन्हें भुगतान उस राशि से कम नहीं किया जाएगा जो कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में संहिता की धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाएगा। संहिता की 30(2) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण (1) में संदेहों को दूर करने के लिए कहा गया है और स्पष्ट किया गया है कि इस खंड के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा। [अनुच्छेद 8.1] [826-च-ज]

1.6 संहिता की धारा 31 का यह अधिदेश भी है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि धारा 30 की उपधारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करती है।

उसके बाद ही न्यायनिर्णयन प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देगा, जो तब कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटर और समाधान समझौते में शामिल अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी होगा। धारा 30(2)(ड) के तहत समाधान पेशेवर को उसे प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करने और इस बात की पुष्टि करने की भी आवश्यकता है कि यह उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। इस प्रकार, संहिता की संशोधित धारा 30(2) सहपठित धारा 31 वह तरीका बताती है जिसके द्वारा उन लेनदारों के हित जो लेनदारों की समिति में शामिल नहीं हैं यानी सक्रिय लेनदार और वित्तीय लेनदार, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है, को समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना में संरक्षित किया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 8.2-8.3] [827-क-घ]

1.7 यह इस संदर्भ में है कि अपीलकर्ता संख्या 1 प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन समाधान योजना संहिता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, क्योंकि यह अपीलकर्ता संख्या के पक्ष में बनाए गए बंधक को समाप्त और वाष्पीकृत करती है, और इसके कारण, अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा जो बंधक रखे गए शेयरों के माध्यम से एक सुरक्षित लेनदार है, असहमत वित्तीय लेनदारों या यहां तक कि सक्रिय लेनदारों की तुलना में बदतर स्थिति में और उपचार-रहित रह जाता है। [अनुच्छेद 8.4] [827-घ-ड]

1.8 वर्तमान मामले में जो कठिनाई उत्पन्न होती है वह यह है कि, अनुज जैन (पूर्वोक्त) और फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन वह वित्तीय लेनदारों या सक्रिय लेनदारों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए, उन्हें 2019 के अधिनियम संख्या 26, या उस मामले के लिए 2018 के अधिनियम संख्या 26 के तहत संहिता की धारा 30(2) में किए गए संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। नतीजतन, एक बहुत ही अजीब और विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है जहां एक सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित हित के लाभ से वंचित कर दिया जाता है, यानी, सुरक्षित

हित की बिक्री का अधिकार, फिर भी वित्तीय लेनदार या सक्रिय लेनदार के रूप में नहीं माना जाता है। संहिता की धारा 52 के अनुसार, परिसमापन कार्यवाही में एक सुरक्षित लेनदार के पास परिसमापन संपत्ति के लिए अपने प्रतिभूति हित को त्यागने और संहिता की धारा 53 के तहत निर्दिष्ट तरीके से परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री से आय प्राप्त करने का अधिकार है। सुरक्षित लेनदार को दिया गया दूसरा विकल्प उपरोक्त धारा में निर्दिष्ट तरीके से सुरक्षा हित के साकार करना है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का नियम 21क सुरक्षा हित की धारणा से संबंधित है, जिसे हमें वर्तमान निर्णय के लिए वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सुरक्षित लेनदार प्रतिभूति हित को त्याग देता है, तो वह संहिता की धारा 53 की उपधारा (1)के खंड (ख) के तहत भुगतान में प्राथमिकता का हकदार है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित लेनदार को बकाया ऋण, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीनों की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के बराबर की श्रेणी में आता है। संहिता की धारा 52(9) के अनुसार, जहां सुरक्षित परिसंपत्तियों की वसूली पर आय प्रतिभूति हित प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे सुरक्षित लेनदारों की बची हुई देय राशि का भुगतान परिसमापक द्वारा संहिता की धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ड) के संदर्भ में किया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 8.5] [828-क-ड]

1.9 इस प्रकार, हमारे समाने एक कठिन स्थिति है, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा, एक सुरक्षित लेनदार, को बंधक शेयरों के संबंध में संहिता की धारा 52 के साथ-साथ धारा 53 के तहत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जबकि, संहिता की धारा 31 के साथ पढ़ी गई संशोधित धारा 30(2) का इरादा बहुत विपरीत है, चूंकि यह उन अन्य लेनदारों के हितों को स्वीकार करती है और उनकी रक्षा करता है जो लेनदारों की समिति के दायरे से बाहर हैं। हमारे विचार से, इस मुश्किल समस्या का जवाब दोहरा है। पहला, सीआईआरपी के शुरू होने की तारीख को बंधक रखे गए शेयर के अनुमानित मूल्य की सीमा तक सुरक्षित लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में मानना। यह इसे लेनदारों की समिति का सदस्य बना देगा और इसे

बंधक रखे गए शेयरों के अनुमानित मूल्य के बराबर मतदान अधिकार देगा। हालांकि, इसके लिए अनुज जैन (पूर्वोक्त) और फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त) की घोषणा और अनुपात पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाना अपरिहार्य हो जाएगा। वर्तमान मामले के संदर्भ में, उक्त समाधान सुकर नहीं होगा क्योंकि समाधान योजना अपीलकर्ता संख्या- 1 विस्ट्रा के लेनदारों की समिति का सदस्य होने के बिना ही पहले ही लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, है। इसलिए, हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1 को संहिता की धारा 52 सहपठित धारा 53 के संदर्भ में एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाए। दूसरे शब्दों में, हम सफल समाधान आवेदक - डीवीआई (डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स) को यह विकल्प दें कि वह अपीलकर्ता संख्या 1 को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माने, जो बंधक शेयरों में प्रतिभूति हित को बनाए रखने का हकदार होगा, और उसके संदर्भ में, संहिता की धारा 52 सह पठित परिसमापन प्रक्रिया विनियम का नियम 21-क के तहत उक्त बंधक शेयरों की बिक्री पर सुरक्षा आय को बनाए रखने का हकदार होगा। उपलब्ध दूसरा विकल्प, अपीलकर्ता संख्या 1 के लिए मौद्रिक संदर्भ में लगभग बराबर होगा, जिसे एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाता है और संहिता की धारा 52 और 53 के तहत एक सुरक्षित लेनदार पर लागू सभी अधिकारों और दायित्वों का हकदार माना जाता है। यह उजागर की गई कानूनी पहली और मुद्दे का एक उचित और न्यायपूर्ण समाधान होगा। [अनुच्छेद 9] [828-च-ज; 829-क-ग]

1.10 यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश सफल समाधान आवेदक - डीवीआई के लिए समाधान योजना को वापस लेने का आधार नहीं होंगे, जिसे एनसीएलएटी और इस न्यायालय द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। कारण सरल है। किसी भी समाधान योजना को संहिता की आवश्यकताओं/प्रावधानों और उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान को पूरा करना चाहिए। जो निर्देश दिया है और दिया गया विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि समाधान योजना संहिता के अधिदेश को पूरा करती है और सुरक्षित लेनदार को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती

है, जिसे अपने दावे और अधिकारों में एक सक्रिय लेनदार या एक असहमत वित्तीय लेनदार से बदतर / हीन नहीं माना जा सकता। [अनुच्छेद 9.1] [828-घ-ड]

1.11 प्रत्यर्थी संख्या 1 कॉर्पोरेट देनदार के लिए समाधान पेशेवर और प्रत्यर्थी संख्या 2 - कॉर्पोरेट देनदार की लेनदारों की समिति द्वारा उठाए गए इस तर्क को कि अपीलकर्ता संख्या 1 का वर्तमान अनुरोध कि उसे कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाए, को देरी, उपेक्षा और सहमति के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। दलील यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने पूर्ववर्ती समाधान आवेदक - एलएचजी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर आपत्ति नहीं जताई थी और परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों की समिति में वित्तीय लेनदार के रूप में इसका वर्गीकरण नहीं किया गया था। हालांकि यह तर्क एनसीएलएटी के समक्ष आकर्षक और महत्वपूर्ण साबित हुआ था, लेकिन यह असमर्थनीय है क्योंकि पूर्ववर्ती समाधान आवेदक - एलएचजी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना ने बंधक शेयरों के संबंध में एक सुरक्षित लेनदार के रूप में अपीलकर्ता संख्या 1 के अधिकारों या हितों को प्रभावित नहीं किया। अपीलकर्ता संख्या 1 ने विस्तार से समझाया है कि एलएचजी आदि उनके साथ बातचीत कर रहे थे ताकि बंधक को भुनाया जा सके और शेयरों को प्राप्त किया जा सके। [अनुच्छेद 10] [829-च-ज;]

1.12 एनसीएलएटी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाले एनसीएलएटी के आक्षेपित निर्णय को हमारे निर्देशों के संदर्भ में आंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 - मेसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाएगा, जिसे संहिता की धारा 52 और 53 के संदर्भ में, और दिनांक 05.07.2016 के बंधक समझौते के अनुसार एक सुरक्षित लेनदार पर लागू सभी अधिकारों और दायित्वों का अधिकार दिया जाएगा। [अनुच्छेद 11] [830-ख-ग]

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए अनुज जैन अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड आदि (2020) 8 एससीसी 401 : [2020] 8 एससीआर 291;

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केतुलभाई
रामूभाई पटेल (2021) 2 एससीसी 799; पीटीसी इंडिया
फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम वेंकटेश्वरलू कारी
और अन्य (2022) 9 एससीसी 704 - संदर्भित किए
गए।

निर्णय विधि संदर्भ

[2020] 8 एससीआर 291	अनुच्छेद 3.5	संदर्भित
(2021) 2 एससीसी 799	अनुच्छेद 3.5	संदर्भित
(2022) 9 एससीसी 704	अनुच्छेद 7.1	संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3606/2020।

कंपनी याचिका (एटी) (इंस.) सं. 703/2020 में राष्ट्रीय कंपनी
विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 24.08.2020 के निर्णय और
आदेश से।

राकेश द्विवेदी, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री
अनिंदिता रॉय चौधरी, सुश्री वत्सला राय, सुश्री अन्न्या घोष, ब्रायन
हेनरी मोजेस, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, एस. जी., नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता,
सुश्री मीशा, अनूप रावत, सिद्धांत कांत, सुश्री चारु बंसल, सुश्री प्रभ
सिमरन कौर, एस. एस. श्रॉफ, संजय भट्ट, सुश्री निहारिका शर्मा,
रामचंद्रन मदन, ध्रुव शर्मा, सुश्री आकांक्षा श्रीवास्तव, रबीन मजूमदार,
प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्तागण।

के. वी. विश्वनाथन, विक्रम नानकानी, वरिष्ठ अधिवक्तागण,
आशीष प्रसाद, दिनेश पेडनेकर, चाणक्य केसवानी, अर्पन बहल, महफूज
अहसान नाज़की, आवेदक के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था :-

एम. आर. शाह, न्या.

1. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा कंपनी अपील (एटी) (दिवालियापन) संख्या 703/2020 में पारित 24.08.2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा एनसीएलटी ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और यहां इसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर सीपी (आईबी) 42/Chd./Hry.2017 में अंतर्वर्ती आवेदन सं. 62/2020 में पारित एनसीएलटी के आदेश की पुष्टि की है, मूल आवेदक ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. वर्तमान अपील के लिए जिम्मेदार तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

2.1 कि एमटेक ऑटो लिमिटेड (इसके बाद कॉर्पोरेट देनदार के रूप में संदर्भित) ने अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 से अपनी समूह कंपनियों यानी ब्रासको इंजीनियर्स लिमिटेड और डब्ल्यूएलडी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट देनदार के अंतिम उपयोग के लिए 500 करोड़ रुपये की अल्पकालिक ऋण सुविधा देने के लिए संपर्क किया। अपीलकर्ताओं के अनुसार यह एक सहमती थी कि कॉर्पोरेट देनदार जेएमटी ऑटो लिमिटेड के 2/- रुपये अंकित मूल्य के 16,82,06,100 से अधिक इक्विटी शेयरों को बंधक रखकर एक प्रथम श्रेणी की विशेष प्रतिभूति तैयार करेगा। 28.12.2015 को अपीलकर्ता संख्या 1 और डब्ल्यूएलडी के बीच एक 150,00,00,000/- रुपये की राशि के लिए प्रतिभूति न्यासी समझौते को निष्पादित किया गया था। कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक

मंडल ने बोर्ड संकल्प पत्र पारित किए, जिसके तहत निदेशक मंडल ने जेएमटी ऑटो लिमिटेड के शेयरों पर प्रतिभूति बनाने का संकल्प लिया।

2.2 आईडीबीआई बैंक ने यह कहते हुए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया कि उन्हें अधिकतम 450,00,00,000 रुपये तक की परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का पहले एएल द्वारा जारी प्रतिभूति न्यासी समझौते एसटीएफ के तहत सभी बकायों का निपटान करने के लिए उपयोग किए जाने पर कोई आपति नहीं है। अपीलकर्ता संख्या 1 और ब्रासको के बीच 150,00,00,000/- रुपये की राशि के लिए प्रतिभूति न्यासी समझौता निष्पादित किया गया था। यह कि इसके बाद 23.12.2015 को पारित संकल्प पत्र के अनुसरण में, कॉर्पोरेट देनदार के निदेशक मंडल ने बोर्ड संकल्प पत्र पारित किया, जिसके तहत निदेशक मंडल ने शेयरों के लिए प्रतिभूति का भुगतान किया। यह कि इसके बाद अपीलकर्ता संख्या 1 और ब्रासको के बीच रु. 200,00,00,000/- की राशि हेतु एक और प्रतिभूति न्यासी समझौते को निष्पादित किया गया। इसके बाद कॉर्पोरेट देनदार, डब्ल्यूएलडी, ब्रासको और विस्ट्रा ने 05.07.2016 को एक संशोधित और बहाल बंधक समझौते को निष्पादित किया और कॉर्पोरेट देनदार ने जेएमटी ऑटो लिमिटेड में अपनी 66.77% शेयरधारिता को बंधक रखा ताकि डब्ल्यूएलडी और ब्रासको द्वारा केकेआर और एलएंडटी से प्राप्त सावधि ऋण

सुविधाओं को सुरक्षित किया जा सके। यह कि इसके बाद 24.07.2017 को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 (इसके बाद 'आईबीसी/संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत एक आवेदन कॉर्पोरेट देनदार/एएएल के खिलाफ स्वीकार किया गया था। यहां इसमें प्रत्यर्थी - श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रमण्यन को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें बाद में समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया।

2.3 यह कि 02.11.2017 को अपीलकर्ता संख्या 1 ने कॉर्पोरेट देनदार के सुरक्षित लेनदार के रूप में अपना दावा दायर किया और 500 करोड़ रुपये की मूल राशि का दावा करते हुए प्रपत्र ग जमा किया। हालांकि, अपीलकर्ताओं - सुरक्षित लेनदार के दावे को 2017 में समाधान पेशेवर द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। समाधान पेशेवर को लिबर्टी हाउस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड (एलएचजी) और डेक्कन वेल्यू इन्वेस्टर्स (डीवीआई) के रूप में केवल 2 समाधान आवेदकों से दो समाधान योजनाएं मिलीं। डीवीआई ने अपनी समाधान योजना वापस ले ली, इसलिए मेसर्स एलएचजी द्वारा संशोधित योजना पर लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा विचार किया गया, जिसने 02.04.2018 को 94.20% के बहुमत मतदान हिस्से के साथ योजना को मंजूरी दे दी। एलएचजी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को दिनांक 25.07.2018 के आदेश के माध्यम से न्यायनिर्णयन

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, इसके बाद चूंकि एलएचजी ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया, इसलिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने डीवीआई की योजना पर विचार करने के लिए लेनदारों की समिति पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया। इसके बाद लेनदारों की समिति आदि द्वारा एनसीएलएटी के समक्ष आगे की कार्यवाहियां शुरू की गईं (जो वर्तमान अपील में शामिल मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं)।

2.4 इसके बाद अपीलकर्ताओं ने आईबीसी की धारा 60(5) के तहत बंधक शेयरों के आधार पर अपने अधिकार का दावा करते हुए एक और आवेदन अर्थात् अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 62/2020 दायर किया। इस न्यायालय ने 08.06.2020 को एक आदेश पारित किया जिसमें न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को समाधान योजना और सभी लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने और 15 दिनों के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। 12.06.2020 को समाधान पेशेवर दायर ने समाधान योजना की मंजूरी के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 225/2020 दायर की। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन अर्थात् अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 62/2020 को खारिज कर दिया। अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 62/2020 में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 09.07.2020 का आदेश एनसीएलएटी के समक्ष अपील की विषयवस्तु था। एनसीएलएटी ने अपने निर्णय और

आदेश से उक्त अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि 'सुरक्षित वित्तीय लेनदार' की तथाकथित हैसियत से अपीलकर्ता संख्या 1 के दावे को वर्ष 2017 में ही खारिज कर दिया गया था और इस संबंध में निर्णय को सवालों के घेरे में नहीं लाया गया है और इसलिए अपीलकर्ता वर्ष 2020 में अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 62/2020 दायर कर इसी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। एनसीएलएटी ने यह भी कहा है कि अपीलकर्ताओं ने कॉर्पोरेट देनदार को कोई पैसा उधार नहीं दिया है और कॉर्पोरेट देनदार पर अपीलकर्ताओं का कोई वित्तीय ऋण बकाया नहीं है, सिवाय इसके कि शेयरों को बंधक रखा जाना था। इसलिए, एनसीएलटी ने व्यक्त किया कि अपीलकर्ताओं ने कॉर्पोरेट देनदार को वित्तीय ऋण के रूप में कोई पैसा नहीं दिया है, इसलिए वे कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के दायरे में नहीं आएंगे। उपरोक्त टिप्पणियां करते हुए, एनसीएलएटी ने इसे खारिज कर दिया।

2.5 अपील को खारिज करने और अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 62/2020 को खारिज करने वाले राजस्व द्वारा पारित अपील की पुष्टि करने वाले एनसीएलएटी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट हो कर, मूल आवेदकों - मेसर्स विस्ट्रा और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

3. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सि.अ. सं. 3606/2020 में अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं और श्री श्याम

दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सि.अ. संख्या 6372-73/2021 में अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए हैं। श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल प्रत्यर्थी संख्या 1 - लेनदारों की समिति की ओर से पेश हुए हैं।

3.1 अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एनसीएलटी/एनसीएलएटी ने यह टिप्पणी करने में गलती की है कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा एक सुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में किए गए दावे में देरी हुई थी। अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों ने इस तथ्य की उचित रूप से विवेचना नहीं की है कि यह एक सतत् वाद-हेतुक था। इसलिए, यह एक सतत् वाद-हेतुक का मामला था। आईबीसी के तहत यह प्रस्तुत किया गया कि लेनदारों के एक अनुचित वर्ग में वर्गीकरण पर आपत्ति करने के लिए कोई परिसीमा का प्रावधान नहीं है।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिसीमा का अनुपात वाद-हेतुक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है।

3.3 यह प्रस्तुत किया गया है कि यह सतत् वाद-हेतुक का मामला है क्योंकि समाधान पेशेवर, लेनदारों की समिति, समाधान आवेदक और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण सभी को दावेदारों के सही वर्गीकरण पर विचार करना आवश्यक है।

3.4 यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") 24.07.2017 को शुरू हुई और वर्तमान समाधान योजना (जो कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के 09.07.2020 के आदेश के अनुसार) को 07.02.2020 से 11.02.2020 तक लेनदारों की समिति द्वारा मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया था; जिसे केवल 09.07.2020 को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, अर्थात्, लगभग सीआईआरपी की शुरुआत के 3 साल बाद। अपीलकर्ताओं ने पहले ही 11.02.2020 को लेनदारों की समिति में वित्तीय सुरक्षित लेनदार के रूप में अपीलकर्ताओं को शामिल नहीं करने को चुनौती दी थी, जो कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने से 5 महीने पहले था। इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से देरी का सवाल ही नहीं उठता है और न ही प्रत्यर्थियों द्वारा देरी पर वाद-विवाद हो सकता है चूंकि समाधान पेशेवर और लेनदारों की समिति की निगरानी में सीआईआरपी प्रक्रिया ही 3 साल तक चली, जो 3 साल आईबीसी के तहत निर्धारित 330 दिनों की समय सीमा से काफी अधिक हैं। इसलिए, लेनदारों की समिति और समाधान पेशेवर एक तरफ अपनी देरी को सही नहीं ठहरा सकते हैं और फिर देरी पर भरोसा करके अपीलकर्ताओं के अधिकारों को नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं।

3.5 गुणागुण के आधार पर अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि अनुज जैन, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड आदि और फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम केतुलभाई रामूभाई पटेल मामले में इस न्यायालय के निर्णय, अलग हैं और इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ताओं और एमटेक ऑटो लिमिटेड के बीच लेनदार-देनदार का संबंध है। यह प्रस्तुत किया गया है कि डब्ल्यूएलडी और ब्रास्को ने कॉर्पोरेट देनदार के अंतिम उपयोग और अंतिम लाभ के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 के माध्यम से अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 से ऋण लिया। प्रत्यक्ष देनदार-लेनदार संबंध स्थापित करने के लिए, 13.06.2016 को एमटेक ऑटो के बोर्ड संकल्प पत्र; एमटेक ऑटो द्वारा 23.12.2015 को किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुरोध; एमटेक ऑटो द्वारा 26.03.2016 को आईडीबीआई से किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुरोध; आईडीबीआई बैंक द्वारा विस्ट्रा आईटीसीएल आदि को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर भरोसा किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एमटेक ने अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 से धन राशियां प्राप्त कीं जब वह वित्तीय संकट में था, जिस तथ्य के बारे में बैंकों को पता था

क्योंकि इन ऋणों को प्राप्त करने का कारण बैंकों में एमटेक के ऋण खाते को 'मानकीकृत' करना था।

3.7 जोरदार रूप से यह प्रस्तुत किया जाता है कि शेयरों को बंधक रखना जिसे आईबीसी के तहत वित्तीय ऋण के रूप में गठित किया गया है वह आईबीसी की धारा 3(31) के तहत प्रतिभूति हित के रूप में परिभाषित है।

4. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता ने 02.11.2017 को समाधान पेशेवर के पास अपना दावा दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था और यह कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट पर प्रकाशित लेनदारों की सूची में विधिवत परिलक्षित हुआ था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अस्वीकृति को अपीलकर्ता द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आदान-प्रदान किए गए विभिन्न पत्रव्यवहारों में भी, अपीलकर्ता संख्या 1 ने अपने दावे को स्वीकार न करने को कोई चुनौती नहीं दी, बल्कि समाधान पेशेवर से यह सुनिश्चित करने के लिए एक बेतुका अनुरोध किया कि बंधक रखे गए शेयरों को अपीलकर्ता संख्या 1 की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी तरह से कार्यवाही न की जाए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलकर्ता ने 11.02.2020 को एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, उसमें भी उसके दावे की अस्वीकृति को चुनौती नहीं

दी गई थी, बल्कि लेनदारों की समिति में प्रवेश के लिए मांग की गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि उक्त आवेदन देर से दायर किया गया था, इसलिए इसे एनसीएलटी द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है और एनसीएलटी द्वारा सही पुष्टि की गई है।

4.1 श्री मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा इस न्यायालय द्वारा **अनुज जैन (पूर्वोक्त)** और **फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)** मामले में सीधे तौर पर शामिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार होने के योग्य नहीं हो सकता था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के सहयोगियों को दी गई राशि के संबंध में बंधक शेयरों के रूप में केवल एक तृतीय पक्ष सुरक्षा दी गई है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

5. यह मुद्दा और कानूनी प्रश्न आंशिक रूप से इस न्यायालय के दो निर्णयों द्वारा कवर किए गए हैं, अर्थात्, **अनुज जैन (पूर्वोक्त)** और **फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वोक्त)**। हम पहले इन दो मामलों में निर्णयों की जांच करेंगे और फिर अपीलकर्ता संख्या 1 - मेसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल की दलील पर कि ये निर्णय तत्काल मामले के तथ्यों से अलग हैं, पर ध्यान देंगे।

5.1 अनुज जैन (पूर्वोक्त) में, मुद्दा यह था कि क्या कॉर्पोरेट देनदार, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) की होल्डिंग कंपनी जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लेनदार दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 5(7) सहपठित संहिता की धारा 5(8) में परिभाषित अभिव्यक्ति 'वित्तीय ऋण' के अर्थ के भीतर जेआईएल के 'वित्तीय लेनदार' का दर्जा रखते हैं। यह मुद्दा इसलिए उठा था क्योंकि जेआईएल ने जेएएल के लेनदारों के पास कुछ जमीन बंधक रखी थी। संहिता के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में वित्तीय लेनदारों की अनूठी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए और व्याख्या करते हुए, और यह कि विधायिका ने उन्हें यह सुनिश्चित करने की एक विशिष्ट भूमिका सौंपी है कि कॉर्पोरेट देनदार, यदि संभव हो, में जान डाली जाए, उसका कायाकल्प हो और उसे पुनर्जीवित किया जाए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वित्तीय लेनदार एकमात्र हितधारक हैं जो कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुत्थान और पुनर्गठन के लिए स्पष्ट रूप से चिंतित और सहवर्ती होंगे। एक सुरक्षित लेनदार की केवल अपनी प्रतिभूति के मूल्य को साकार करने में रुचि हो सकती है और इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार या न्यायसंगत परिसमापन में हिस्सेदारी या हित नहीं होगा, जबकि एक वित्तीय लेनदार, अपने स्वयं के हितों के सुरक्षा उपायों की तलाश करने के अलावा, कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार और विकास में भी रुचि रखेगा। इसलिए,

कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों में केवल एक प्रतिभूति हित रखने वाला व्यक्ति, भले ही कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक सुरक्षा के आधार पर 'सुरक्षित लेनदार' के विवरण में आता हो, फिर भी 'वित्तीय लेनदारों' के संप्रदाय के बाहर खड़ा होगा, और परिणामस्वरूप लेनदारों की समिति के बाहर भी। उपरोक्त निर्णय 'वित्तीय ऋण' शब्द को संहिता की धारा 5(8) के तहत दिए गए अर्थ पर भी आधारित है, जिसे वर्तमान निर्णय के संदर्भ में विस्तृत रूप से वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है।

5.2 फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त) में, कॉर्पोरेट देनदार दोशियोन वियोलिया वाटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (दोशियोन वियोलिया) ने गॉडवाना इंजीनियर्स लिमिटेड के 40,160 शेयर एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (एल एंड टी) को सुरक्षा के रूप में बंधक रखे थे। एल एंड टी के पक्ष में दोशियोन वियोलिया द्वारा एक वचन पत्र भी निष्पादित किया गया था। हालांकि, मुख्य और प्रमुख लेनदेन एल एंड टी और दोशियोन लिमिटेड के बीच था, जिसने उसे 40 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा दी थी, जिसके अनुसरण में विशिष्ट समझौते निष्पादित किए गए थे। स्पष्टता के लिए, हम कह सकते हैं कि एल एंड टी ने बाद में फीनिक्स एआरसी (पी) लिमिटेड को ऋण सौंपा था, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता थे।

5.3 इस न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त)** में यह टिप्पणी की थी कि बंधक समझौता दोशिओन वियोलिया के 40,160 शेयरों के संबंध में था, जिन्हें प्रतिभूति के रूप में एल एंड टी को बंधक रखा गया था, जिससे दोशिओन वियोलिया की देयता सीमित हो गई, हालांकि, यह संहिता की धारा 5(8) में परिभाषित 'वित्तीय ऋण' का गठन नहीं कर सकता है और इसलिए, अपीलकर्ता कॉर्पोरेट देनदार का वित्तीय लेनदार नहीं होगा।

5.4 **फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त)** भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय VIII का भी उल्लेख करता है जो धारा 124 और 126 के अंतर्गत 'क्षतिपूर्ति' और 'गारंटी' की परिभाषा से संबंधित है। यह देखा गया था कि :-

"25. जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, "गारंटी का अनुबंध" एक ऐसा अनुबंध है जो किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने या उसके व्यतिक्रम की स्थिति में देनदारी का निर्वहन करने के लिए है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां कॉर्पोरेट देनदार ने वादे को पूरा करने के लिए या उधारकर्ता के चूकने की स्थिति में उसकी देनदारी का निर्वहन करने के लिए एक अनुबंध किया है। बंधक समझौता प्रतिभूति के रूप में 40,160 शेयरों को बंधक रखने तक सीमित है। कॉर्पोरेट देनदार ने कभी भी उधारकर्ता की देनदारी का निर्वहन करने का वादा नहीं किया है। सुविधा समझौता जिसके तहत उधारकर्ता नियमों और शर्तों से बंधा था और प्रदर्शन के लिए ऋण सुरक्षा को चुकाने के अपने दायित्व को शामिल करता था, सभी सुविधा समझौते में निहित हैं। गारंटी के अनुबंध में

"वादा निभाने या तीसरे पक्ष के व्यतिक्रम की स्थिति में उसकी देनदारी का निर्वहन करने" की गारंटी होती है। इस प्रकार, धारा 126 के प्रमुख शब्द "वादे को पूरा करने" या किसी तीसरे पक्ष की "देनदारी का निर्वहन" करने के लिए अनुबंध हैं। दोनों अभिव्यक्तियां "वादे के पूरा करना" या "देनदारी का निर्वहन" "तीसरे पक्ष" से संबंधित हैं।

अनुबंध अधिनियम की धारा 172 में परिभाषित 'बंधक' शब्द का संदर्भ लिया गया है और यह माना गया है कि :-

"26. 10-1-2012 के बंधक समझौते में ऐसा कोई अनुबंध शामिल नहीं है जिसे कॉर्पोरेट देनदार ने वादा निभाने या तीसरे पक्ष की देनदारी का निर्वहन करने के लिए अनुबंधित किया है.....

30. "गारंटी" और "क्षतिपूर्ति" शब्द जैसा कि धारा 5(8)(i) में आते हैं, को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। संहिता की धारा 3 खंड (37) में प्रावधान है कि उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां जो संहिता में परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अनुबंध अधिनियम, 1872 में परिभाषित हैं, उनके उन्हें क्रमशः दिए गए अर्थ होंगे।"

5.5 फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त) में निर्णय में अनुज जैन (पूर्वोक्त) (उपरोक्त निर्णय में जेपी इंफ्राटेक अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम एक्सिस बैंक के रूप में संदर्भित) के पैराग्राफ 46-50.2 पर भी भरोसा किया गया है और पुनः प्रस्तुत किया गया है और उसके बाद यह कहा गया है कि :-

"36. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों पर केवल प्रतिभूति हित रखने वाला व्यक्ति, भले ही कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्रदान की गई

संपार्श्विक सुरक्षा के आधार पर "सुरक्षित लेनदार" के विवरण के भीतर आता हो, धारा 5 के खंड (7) और (8) में निहित परिभाषाओं के अनुसार वित्तीय लेनदारों द्वारा सुरक्षित नहीं होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है वह वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है जहां कॉर्पोरेट देनदार ने केवल जीईएल के 40,160 शेयरों को बंधक रखकर एक प्रतिभूति दी है। कुछ भी हो अपीलकर्ता को उपरोक्त प्रतिभूति के आधार पर एक सुरक्षित देनदार माना जाएगा, लेकिन वह धारा 5 खंड (7) और (8) के अर्थ के भीतर एक वित्तीय लेनदार नहीं होगा।

37. श्री विश्वनाथन ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड [जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, (2020) 8 एससीसी 401] में इस न्यायालय के निर्णय को यह तर्क देकर अलग करने की कोशिश की कि उपरोक्त निर्णय विशिष्ट तथ्यों के परिदृश्य में प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। श्री विश्वनाथन ने कहा कि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड [जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड अंतरिम समाधान पेशेवर बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, (2020) 8 एससीसी 401] में कॉर्पोरेट देनदार ने मूल कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण के लिए बंधक बनाया था और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा ऐसे ऋण का कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, जबकि वर्तमान मामले में कॉर्पोरेट देनदार उसकी मूल कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण का प्रत्यक्ष और वास्तविक लाभार्थी रहा है।”

5.6 हमने विशेष रूप से **फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त)** में निर्णय के अनुच्छेद 37 को उद्धृत किया है क्योंकि उसमें अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने भी हमारे सामने **अनुज जैन (पूर्वोक्त)** और **फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त)** के निर्णयों को प्रस्तुत मामले से इस आधार पर

अलग करने का तर्क दिया था कि जो अल्पावधि ऋण सुविधाएं (एसटीएलएफसी) दिनांक 30.06.2016 के सुविधा समझौते (सुविधा समझौता) के माध्यम से वर्तमान मामले में अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा के द्वारा कॉर्पोरेट देनदार की समूह कंपनियों - एमटेक ऑटो लिमिटेड (एमटेक) यानी ब्रास्को इंजीनियरिंग लिमिटेड (ब्रास्को) और डब्ल्यूएलडी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (डब्ल्यूएलडी) को प्रदान की गई, वह वास्तव में कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के अंतिम उपयोग और लाभ के लिए थीं। उक्त तर्क हमें इस कारण से आकर्षित नहीं करता है कि ब्रास्को और डब्ल्यूएलडी को दी गई एसटीएल सुविधाओं को चुकाने की जिम्मेदारी उक्त कंपनियों की है, न कि कॉर्पोरेट देनदार एमटेक की, भले ही वह सुविधा समझौते की शर्तों के अनुसार, एसटीएल सुविधाओं के माध्यम से संवितरित राशि का अंतिम लाभार्थी हो। उपरोक्त निर्णयों को इस आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है कि ऋण जेआईएल या दोशियोन वियोलिया के अंतिम उपयोग और लाभ के लिए नहीं थे। कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक अपीलकर्ता-विस्ट्रा के पूर्ववर्ती-हितधारक द्वारा दिए गए ऋणों को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं था, जिसके संबंध में ब्रास्को और डब्ल्यूएलडी के साथ उधारदाताओं द्वारा विस्तृत और अलग समझौते निष्पादित किए गए थे।

6. हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक और आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, अपीलकर्ता संख्या 1

- विस्ट्रा की पूर्ववर्ती-हितधारक (बंधक समझौता) के बीच दिनांक 5.07.2016 के संशोधित और पुनः घोषित बंधक समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक पूरी ऋण राशि का गारंटर है, जिसके लिए बंधक समझौते के खंड 2.1.2 पर भरोसा किया गया था। यह तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है, क्योंकि बंधक समझौता विशेष रूप से खंड 2.1.1 के तहत बंधक शेयरों की सीमा तक कॉर्पोरेट देनदार की देयता को प्रतिबंधित और सीमित करता है, जो निम्नानुसार है :-

"2.1.1 वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसरण में और पहचाने गए उधारदाताओं के प्रत्येक सुविधा के संबंध में वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल होने और / या शामिल होने के लिए सहमत होने को ध्यान में रखते हुए, बंधककर्ता पहचाने गए उधारदाताओं के साथ करार करता है और सहमत होता है कि यह प्रत्येक सुविधा के संबंध में वित्तपोषण दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और इसमें और उसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार पहचाने गए ऋण के संबंध में बकाया राशि का पुनर्भुगतान, भुगतान और / या निर्वहन करेगा। बशर्ते कि बंधककर्ता को इस बंधक समझौते की शर्तों के अनुसार बंधक रखे शेयरों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के अनुसरण में न्यासी द्वारा वसूल की गई कुल राशि से अधिक किसी भी राशि का किसी भी वित्तीय पक्ष को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी"

(जोर दिया गया)

6.1 इसी तरह, कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक द्वारा संयुक्त लेनदार फोरम के प्रमुख बैंक आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी कुछ पत्रव्यवहारों पर

भी भरोसा किया गया है, जो अब कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के लेनदारों की समिति का बहुमत है, जो शेयरों आदि को बंधक रखने की अनुमति देती है। हम देखते हैं कि इन पत्रव्यवहारों को उस संदर्भ में पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसमें वे लिखे गए थे। कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के वित्तीय लेनदारों द्वारा यह स्पष्ट और समझा गया था कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक एसटीएल सुविधाओं के लिए अपनी परिसंपत्ति की प्रतिभूति या शुल्क द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वहन नहीं करेगा, और ऋण ब्रास्को और डब्ल्यूएलडी द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 और 3, अर्थात्, केकेआर इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड, से खरीदे और लिए जा रहे थे। यह निर्धारित किया गया था कि कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक की परिसंपत्तियों को किसी भी तरह से ऋणग्रस्त नहीं किया जाएगा, और प्रतिभूति के रूप में दिए गए शेयरों को छोड़कर, और ऋण को चुकाने / निर्वहन करने का बोझ ब्रास्को और डब्ल्यूएलडी पर था। आईडीबीआई बैंक ने केवल कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक को प्रश्नगत शेयर बंधक रखने की अनुमति दी थी और इस हद तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।

हालांकि, इस विषय का एक और पहलू भी है।

7. अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा कॉर्पोरेट देनदार एमटेक द्वारा बंधक रखे गए शेयरों की सीमा तक एक सुरक्षित लेनदार है। यह जेएमटी ऑटो लिमिटेड में 66.77% शेयरधारिता पर बंधक में पहला

अधिकार रखता है। संहिता की धारा 3(31) में परिभाषित 'प्रतिभूति हित' शब्द में कहा गया है कि इसका अर्थ है किसी ऐसे लेन-देन द्वारा किसी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में सृजित संपत्ति का अधिकार, शीर्षक, हित या दावा, जो किसी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करता है और इसमें बंधक, प्रभार, परिपाधान, असाइनमेंट और देनदारियां, या किसी व्यक्ति के किसी दायित्व के भुगतान या निष्पादन को सुरक्षित करने के लिए कोई अन्य समझौता या व्यवस्था शामिल है। वह व्यक्ति जिसके पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया गया है, उसे वह लेनदार होने की आवश्यकता नहीं है जो ऋण सुविधा का लाभ उठाता है, और एक तीसरा पक्ष हो सकता है। प्रतिभूति हित किसी अन्य व्यक्ति को दी गई ऋण सुविधाओं/ऋण के लिए सृजित किया जा सकता है। यह माना जाता है और स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा का बंधक शेयरों में सुरक्षा हित है। उक्त हित की प्रकृति की जांच करने के लिए, हमें पहले यह समझना होगा कि कानून में 'बंधक' क्या होता है।

7.1 पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनाम वेंकटेश्वरलु

कारी और अन्य में इस पीठ द्वारा निक्षेप के अनुबंध के प्रावधानों और बंधक से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों, उपनिधान का एक उप-समूह, के संदर्भ में, 'बंधक' की अवधारणा को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है :-

"18. धारा 151 के अनुसार, एक उपनिहिती को उसे जमानत दिए गए सामानों का उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि सामान्य विवेक वाला एक व्यक्ति समान परिस्थितियों में, जमानत रखे गए सामान के समान गुणवत्ता और मूल्य के अपने सामान का रखता है। धारा 152 में कहा गया है कि यदि वह धारा 151 के अनुरूप कार्य करता है, तो एक विशेष अनुबंध के अभाव में, एक उपनिहिती व्यक्ति किसी भी नुकसान, विनाश या जमानत वाले सामान के बिगड़ने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। धारा 153 के अनुसार, जमानत के लिए एक अनुबंध उपनिधाता के चुनाव पर शून्य हो सकता है यदि उपनिहिती जमानत रखे गए माल के संबंध में जमानत की शर्तों से असंगत कोई कार्य करता है। धारा 154 में कहा गया है कि उपनिहिती सामान के अनधिकृत उपयोग से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। उपनिहिती की सहमति से उपनिधाता, अपने स्वयं के माल के साथ जमानत रखे गए माल को मिला सकता है, इस परिस्थिति में, उपनिधाता और उपनिहिती का हित मिश्रण में उनके संबंधित हिस्सों के अनुपात में होगा। [धारा 155, अनुबंध अधिनियम]। हालांकि, यदि उपनिहिती, उपनिधाता की सहमति के बिना, जमानत वाले माल को अपने स्वयं के साथ मिलाता है, और माल को अलग-अलग या विभाजित किया जा सकता है, तो माल में संपत्ति क्रमशः पक्षों के पास रहती है। [धारा 156, अनुबंध अधिनियम]। इसके अलावा, जमानती माल के पृथक्करण या विभाजन के खर्च को वहन करने के लिए बाध्य है, साथ ही मिश्रण से उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति को भी वहन करने के लिए बाध्य है। धारा 157 में प्रावधान है कि जब माल उपनिधाता की सहमति के बिना इस तरह से मिश्रित होता है और उसे अलग-अलग नहीं किया जा सकता है, तो उपनिधाता को मुआवजा दिया जाता है, और उपनिहिती नुकसान के लिए उत्तरदायी होता है।

19. धारा 160 के तहत, उपनिहिती को उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार, बिना मांग के माल को वापस करना या वितरित

करना होता है, जैसे ही वह समय समाप्त हो जाता है जिसके लिए उन्हें जमानत दी गई थी या जिस उद्देश्य के लिए उन्हें जमानत दी गई थी, वह पूरा हो गया है। धारा 161 में कहा गया है कि यदि उपनिहिती द्वारा कोई चूक होती है और माल उचित समय पर लौटाया नहीं जाता है, सौपा नहीं किया जाता है, या अदा नहीं किया जाता है, तो उपनिहिती उस समय से माल के किसी भी नुकसान, विनाश या गिरावट के लिए उपनिधाता के प्रति जिम्मेदार है। धारा 163 के अनुसार, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध की अनुपस्थिति में, उपनिहिती उपनिधाता को या उसके निर्देशों के अनुसार, किसी भी वृद्धि या लाभ को देने के लिए बाध्य है, जो जमानत पर माल से प्राप्त हो सकते हैं।

20. संविदा अधिनियम की धारा 172 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"172. "बंधक", "पणयम्-कार" और "पणयम्-दार" परिभाषित किए गए - ऋण के भुगतान या वादे के प्रदर्शन के लिए प्रतिभूति के रूप में माल को जमानत पर रखने को "बंधक" कहा जाता है। इस मामले में उपनिधाता को "पणयम्-कार" कहा जाता है। उपनिहिती को "पणयम्-दार" कहा जाता है।"

धारा 172 के अनुसार, वैध बंधक बनाने के लिए ऋण के पुनर्भुगतान या वादे के निष्पादन के वादे पर प्रतिभूति के माध्यम से पणयम्-दार को पणयम्-कार द्वारा माल का कब्जा सौपने की आवश्यकता होती है, जिससे एक संपत्ति का निर्माण होता है जो पणयम्-दार के पास निहित होती है।

22. धारा 176 के अनुसार, जब कोई पणयम्-कार ऋण के भुगतान या किसी वादे के निष्पादन में चूक करता है, तो पणयम्-दार ऐसे ऋण या वादे पर पणयम्-कार के खिलाफ वाद ला सकता है और संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बंधक रखे गए सामान को बनाए रख सकता है, या वह बिक्री की उचित सूचना देने पर बंधक रखे गए सामान को बेच सकता

है। यदि बंधक रखे गए माल बेचे जाते हैं, और ऐसी बिक्री की आय ऋण या वादे के संबंध में देय राशि से कम होती है, तो पणयम्-कार अभी भी पणयम्-दार को शेष राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि इस तरह की बिक्री की आय देय राशि से अधिक है, तो पणयम्-दार पणयम्-कार को अधिशेष का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

23. धारा 177 कर्ज के भुगतान या वादे के निष्पादन में चूक करने वाले पणयम्-कार को वैधानिक अधिकार देती है कि वह किसी भी समय बंधक रखे गए माल को पणयम्-दार द्वारा इसकी “वास्तविक बिक्री” से पहले भुना सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में, पणयम्-कार को उससे हुई चूक से उत्पन्न होने वाले खर्चों का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। धारा 179 में कहा गया है कि माल में एक पणयम्-कार के सीमित हित को वैध रूप से बंधक रखा जा सकता है।”

7.2 बंधक रखने के कानून में पणयम्-दार के लिए विशेष अधिकारों पर विचार किया गया है, यानी, प्रतिभूति के कब्जे का अधिकार, और चूक के मामले में, पणयम्-कार के खिलाफ वाद लाने का अधिकार या, साथ ही पणयम्-कार को उचित नोटिस देने के बाद सामान बेचने का अधिकार। संपत्ति में सामान्य अधिकार या स्वामित्व अधिकार पणयम्-कार के पास रहते हैं, और ऋण के निर्वहन या वादे के प्रदर्शन पर पूरी तरह से उसे वापस कर दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, संपत्ति का अधिकार पणयम्-दार के पास केवल वहां तक निहित है जहां तक ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। हमें उक्त निर्णय के अन्य भागों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जो 'वास्तविक बिक्री' आदि तक मोचन के अधिकार से संबंधित हैं।

8 उपरोक्त व्याख्या के आलोक में, दूसरा मुद्दा जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या समाधान योजना बंधक समझौते को कमजोर, नकार सकती है या उस पर अध्यारोही हो सकती है क्योंकि इस आशय की एक समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस मुद्दे पर फिर से विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि **अनुज जैन (पूर्वोक्त)** में 6.06.2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 2018 के अधिनियम संख्या 26 और 16.08.2019 से प्रभावी 2019 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा संहिता के कई प्रावधानों के प्रतिस्थापन से पहले प्रावधानों की व्याख्या की गई। विशेष रूप से, हम संहिता की संशोधित धारा 30(2) का संदर्भ देना चाहते हैं, जो 2019 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले निम्नलिखित रूप से थी :-

“30. समाधान योजना प्रस्तुत करना। – (2) समाधान पेशेवर को उसे प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करनी होगी ताकि यह पुष्टि की जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना–

(क) कॉर्पोरेट देनदार के अन्य ऋणों के भुगतान की प्राथमिकता में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से दिवालापन समाधान प्रक्रिया लागतों के भुगतान का प्रावधान करती है;

(ख) क्रियाशील लेनदारों के ऋणों का भुगतान ऐसी रीति से करने का प्रावधान करती है जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जो निम्नलिखित से कम नहीं होगी-

(i) धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि; नहीं तो

(ii) ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि, यदि समाधान योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि धारा 53 की उपधारा (1) में प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित की गई होती,

जो भी अधिक हो, और वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान का प्रावधान करती हो, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, जो कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि से कम नह हो।

स्पष्टीकरण 1. संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रावधानों के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन)

अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख से इस खंड के प्रावधान कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर भी लागू होंगे -

- (i) जहां किसी समाधान योजना को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार नहीं किया गया है;
- (ii) जहां धारा 61 या धारा 62 के तहत अपील दायर की गई है या उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान के तहत ऐसी अपील को समय बाधित नहीं किया गया है; या
- (iii) जहां समाधान योजना के संबंध में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है;
- (ग) समाधान योजना के अनुमोदन के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रावधान हो;
- (घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण;
- (ङ) उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता हो;
- (च) ऐसी अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप हो जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

स्पष्टीकरण- खंड (ड) के प्रयोजनों हेतु, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत समाधान योजना के तहत कार्यों के कार्यान्वयन के लिए किसी शेयरधारकों की कोई मंजूरी आवश्यक है, तो ऐसी मंजूरी दी गई मानी जाएगी और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।”

8.12019 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा पेश किया गया संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि सक्रिय लेनदारों को समाधान योजना के तहत संहिता की धारा 53 के तहत कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में उस राशि के बराबर राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, जिसके वे हकदार होंगे। दूसरे शब्दों में, कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में, सक्रिय लेनदारों को समाधान योजना के तहत देय राशि संहिता की धारा 53 के तहत उन्हें देय राशि से कम नहीं होनी चाहिए। संशोधित प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि जिन वित्तीय लेनदारों ने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है उन्हें भुगतान उस राशि से कम नहीं किया जाएगा जो कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन की स्थिति में संहिता की धारा 53 की उपधारा (1) के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाएगा। संहिता की 30(2) के खंड (ख) का स्पष्टीकरण (1) में संदेहों को दूर करने के लिए कहा गया है और स्पष्ट किया गया है कि इस खंड के अनुसार वितरण ऐसे लेनदारों के लिए उचित और न्यायसंगत होगा।

8.2संहिता की धारा 31 का यह अधिदेश भी है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि धारा 30 की उपधारा (4) के तहत लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में उल्लिखित आवश्यकता को पूरा करती है। उसके बाद ही न्यायनिर्णयन प्राधिकरण समाधान योजना को मंजूरी देगा, जो तब कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटर और समाधान समझौते में शामिल अन्य हितधारकों पर बाध्यकारी होगा।

8.3धारा 30(2)(ड) के तहत समाधान पेशेवर को उसे प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की जांच करने और इस बात की पुष्टि करने की भी आवश्यकता है कि यह उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। इस प्रकार, संहिता की संशोधित धारा 30(2) सहपठित धारा 31 वह तरीका बताती है जिसके द्वारा उन लेनदारों के हित जो लेनदारों की समिति में शामिल नहीं हैं यानी सक्रिय लेनदार और वित्तीय लेनदार, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है, को समाधान पेशेवर और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा समाधान योजना में संरक्षित किया जाना चाहिए।

8.4यह इस संदर्भ में है कि अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा प्रस्तुत करता है कि विचाराधीन समाधान योजना संहिता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, क्योंकि यह अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा के पक्ष में बनाए गए बंधक को समाप्त और वाष्पीकृत करती है, और इसके

कारण, अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा जो बंधक रखे गए शेयरों के माध्यम से एक सुरक्षित लेनदार है, असहमत वित्तीय लेनदारों या यहां तक कि सक्रिय लेनदारों की तुलना में बदतर स्थिति में और उपचार-रहित रह जाता है।

8.5 वर्तमान मामले में जो कठिनाई उत्पन्न होती है वह यह है कि, **अनुज जैन (पूर्वोक्त)** और **फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त)** में, इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन वह वित्तीय लेनदारों या सक्रिय लेनदारों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए, उन्हें 2019 के अधिनियम संख्या 26, या उस मामले के लिए 2018 के अधिनियम संख्या 26 के तहत संहिता की धारा 30(2) में किए गए संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। नतीजतन, एक बहुत ही अजीब और विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है जहां एक सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित हित के लाभ से वंचित कर दिया जाता है, यानी, सुरक्षित हित की बिक्री का अधिकार, फिर भी वित्तीय लेनदार या सक्रिय लेनदार के रूप में नहीं माना जाता है। संहिता की धारा 52 के अनुसार, परिसमापन कार्यवाही में एक सुरक्षित लेनदार के पास परिसमापन संपत्ति के लिए अपने प्रतिभूति हित को त्यागने और संहिता की धारा 53 के तहत निर्दिष्ट तरीके से परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री से आय प्राप्त करने का अधिकार है। सुरक्षित लेनदार को दिया गया दूसरा विकल्प उपरोक्त

धारा में निर्दिष्ट तरीके से सुरक्षा हित के साकार करना है। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 का नियम 21क सुरक्षा हित की धारणा से संबंधित है, जिसे हमें वर्तमान निर्णय के लिए वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सुरक्षित लेनदार प्रतिभूति हित को त्याग देता है, तो वह संहिता की धारा 53 की उपधारा (1)के खंड (ख) के तहत भुगतान में प्राथमिकता का हकदार है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित लेनदार को बकाया ऋण, परिसमापन शुरू होने की तारीख से पहले 24 महीनों की अवधि के लिए श्रमिकों के बकाया के बराबर की श्रेणी में आता है। संहिता की धारा 52(9) के अनुसार, जहां सुरक्षित परिसंपत्तियों की वसूली पर आय प्रतिभूति हित प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले सुरक्षित लेनदारों को देय ऋणों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसे सुरक्षित लेनदारों की बची हुई देय राशि का भुगतान परिसमापक द्वारा संहिता की धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ड) के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

- 9 इस प्रकार, हमारे समाने एक कठिन स्थिति है, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा, एक सुरक्षित लेनदार, को बंधक शेयरों के संबंध में संहिता की धारा 52 के साथ-साथ धारा 53 के तहत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जबकि, संहिता की धारा 31 के साथ पढ़ी गई संशोधित धारा 30(2) का इरादा बहुत विपरीत है, चूंकि यह उन अन्य लेनदारों के हितों को स्वीकार करती है और उनकी रक्षा करता

हैं जो लेनदारों की समिति के दायरे से बाहर हैं। हमारे विचार से, इस मुश्किल समस्या का जवाब दोहरा है। पहला, सीआईआरपी के शुरू होने की तारीख को बंधक रखे गए शेयर के अनुमानित मूल्य की सीमा तक सुरक्षित लेनदार को कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार के रूप में मानना। यह इसे लेनदारों की समिति का सदस्य बना देगा और इसे बंधक रखे गए शेयरों के अनुमानित मूल्य के बराबर मतदान अधिकार देगा। हालांकि, इसके लिए **अनुज जैन (पूर्वोक्त)** और **फीनिक्स एआरसी (पूर्वोक्त)** की घोषणा और अनुपात पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया जाना अपरिहार्य हो जाएगा। वर्तमान मामले के संदर्भ में, उक्त समाधान सुकर नहीं होगा क्योंकि समाधान योजना अपीलकर्ता संख्या- 1 विस्ट्रा के लेनदारों की समिति का सदस्य होने के बिना ही पहले ही लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, है। इसलिए, हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। दूसरा विकल्प यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा को संहिता की धारा 52 सहपठित धारा 53 के संदर्भ में एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाए। दूसरे शब्दों में, हम सफल समाधान आवेदक - डीवीआई (डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स) को यह विकल्प दें कि वह अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माने, जो बंधक शेयरों में प्रतिभूति हित को बनाए रखने का हकदार होगा, और उसके संदर्भ में, संहिता की धारा 52 सह पठित परिसमापन प्रक्रिया विनियम का

नियम 21-क के तहत उक्त बंधक शेयरों की बिक्री पर सुरक्षा आय को बनाए रखने का हकदार होगा। उपलब्ध दूसरा विकल्प, अपीलकर्ता संख्या 1- विस्ट्रा के लिए मौद्रिक संदर्भ में लगभग बराबर होगा, जिसे एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाता है और संहिता की धारा 52 और 53 के तहत एक सुरक्षित लेनदार पर लागू सभी अधिकारों और दायित्वों का हकदार माना जाता है। हमारे विचार से यह हमारे सामने उजागर की गई कानूनी पहेली और मुद्दे का एक उचित और न्यायपूर्ण समाधान होगा।

9.1 हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश सफल समाधान आवेदक - डीवीआई के लिए समाधान योजना को वापस लेने का आधार नहीं होंगे, जिसे एनसीएलएटी और हमारे द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। कारण सरल है। किसी भी समाधान योजना को संहिता की आवश्यकताओं/प्रावधानों और उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान को पूरा करना चाहिए। हमने जो निर्देश दिया है और हमारे द्वारा दिया गया विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि समाधान योजना संहिता के अधिदेश को पूरा करती है और सुरक्षित लेनदार को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, जिसे अपने दावे और अधिकारों में एक सक्रिय लेनदार या एक असहमत वित्तीय लेनदार से बदतर / हीन नहीं माना जा सकता।

10 अंत में, हमें प्रत्यर्थी संख्या 1 - दिनकर वेंकटसुब्रमण्यन, कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के लिए समाधान पेशेवर और प्रत्यर्थी संख्या 2 -

कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के लेनदारों की समिति द्वारा उठाए गए इस तर्क को संतुष्ट करना चाहिए कि अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा का वर्तमान अनुरोध कि उसे कॉर्पोरेट देनदार - एमटेक के वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाए, को देरी, उपेक्षा और सहमति के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। दलील यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा ने पूर्ववर्ती समाधान आवेदक - एलएचजी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना पर आपत्ति नहीं जताई थी और परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेट - देनदार एमटेक के लेनदारों की समिति में वित्तीय लेनदार के रूप में इसका वर्गीकरण नहीं किया गया था। हालांकि यह तर्क एनसीएलएटी के समक्ष आकर्षक और महत्वपूर्ण साबित हुआ था, लेकिन हमारी राय में यह असमर्थनीय है क्योंकि पूर्ववर्ती समाधान आवेदक - एलएचजी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना ने बंधक शेयरों के संबंध में एक सुरक्षित लेनदार के रूप में अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा के अधिकारों या हितों को प्रभावित नहीं किया। अपीलकर्ता संख्या 1 - विस्ट्रा ने विस्तार से समझाया है कि एलएचजी आदि उनके साथ बातचीत कर रहे थे ताकि बंधक को भुनाया जा सके और शेयरों को प्राप्त किया जा सके।

11 हमारे पूर्वोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएलएटी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करने वाले एनसीएलएटी के आक्षेपित निर्णय को हमारे निर्देशों के संदर्भ में आंशिक रूप से संशोधित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता संख्या 1 - मेसर्स विस्ट्रा

आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड को एक सुरक्षित लेनदार के रूप में माना जाएगा, जिसे संहिता की धारा 52 और 53 के संदर्भ में, और दिनांक 05.07.2016 के बंधक समझौते के अनुसार एक सुरक्षित लेनदार पर लागू सभी अधिकारों और दायित्वों का अधिकार दिया जाएगा।

वर्तमान अपील का उपरोक्त शर्तों में जुर्माने के संबंध में किसी भी आदेश के बिना निपटान किया जाता है।

निधि जैन

अपील का निपटान किया गया।

(शुभांशु दास, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.